उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या- 122/2016/1829 /चि0-3-16-टी-1(205)/2015 टी0सी0 (पांच)

लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-113/2015/1594/चि0-3-15-टी-1(205)/2015, दिनांक 30-06-2015 (क्रमांक-66) द्वारा डा0 राजेश कुमार, चिकित्साधिकारी (वरि0क्र0-11596, लेवल-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद का जनहित में अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त संशोधित करते हुये अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ में एतद्‌द्वारा तैनात किया जाता है।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-06-2015 इस सीमा तक संशोधित पढ़ा/समझा जाय।

विनोद कुमार सिंह

संयुक्त सचिव

संख्या-122/2016/1829 (1)/ चि0-3-16,तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ/अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद/अलीगढ़/मेरठ ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद/अलीगढ़/मेरठ ।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद)।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-123/2016/1540/चि0-3-16-1542/2016
लखनऊ : दिनांक : 19 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-98/2016/1540/चि0-3-16-1542/2016, दिनांक 16-06-2016 द्वारा डा0 वेद प्रकाश शाक्य, चिकित्साधिकारी (वरि0क्र0-12320, ले0-2), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, औरैया का जनहित में 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय, अतरौलिया जनपद आजमगढ़ किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-123/2016/1540 (1)/चि0-3-16,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि वे सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़/कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, औरैया ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय, अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया/आजमगढ़ ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्साधिकारी, औरैया)
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–3
संख्या–1192 / चि–3–16–1562 / 2013,
लखनऊ : दिनांक : 19 जुलाई, 2016
कार्यालय ज्ञाप

जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि दिनांक 21.05.2013 को प्रातः 3:30 बजे एवं 5:30 बजे जनपद कन्नौज में वाहन दुर्घटनाओं में 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 61 व्यक्ति घायल हुए। गम्भीर रूप से घायल हुए 22 व्यक्तियों को जनपद कानपुर नगर के लिए रिफर किया गया। उक्त हृदय विदारक घटना हो जाने पर डा0 के0के0 जायसवाल सर्जन, जिला चिकित्सालय कन्नौज को घायलों को तत्काल उपचार दिलाये जाने हेतु वार्ड ब्वाय द्वारा उक्त घटना की सूचना देते हुए बुलवाया गया किन्तु जिला चिकित्सालय में स्थित अपने आवास पर उपस्थित होने के उपरान्त भी वह गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों का इलाज किये जाने हेतु उपस्थित नही हुए। डा0 जायसवाल सर्जन जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे, जिनकी कार्य की प्रकृति ऐसी थी कि चिकित्सालय में पहुंच कर यह सुनिश्चित करते कि घायल व्यक्तियों को केवल इलाज की आवश्यकता है अथवा आपरेशन की जरूरत है। डा0 जायसवाल द्वारा उक्त गम्भीर घटना को अत्यन्त साधारण घटना के रूप में लिया गया। डा0 के0के0 जायसवाल तत्कालीन सर्जन जिला चिकित्सालय कन्नौज के उक्त अपकृत्यों के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1331–दो / चि–3–13–1562 / 2013, दिनांक 21.05.2013 द्वारा निलम्बित करते हुए कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर से सम्बद्ध किया गया तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–1331तीन / चि–3–13–1562 / 2013, दिनांक 21.05.2013 द्वारा डा0 के0के0 जायसवाल के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपो की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर को जॉच अधिकारी नामित किया गया था।

2– डा0 के0के0 जायसवाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे रिट याचिका संख्या–22737 / 2016 डा0 के0के0 जायसवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 द्वारा डा0 के0के0 जायसवाल के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को 04 माह में पूर्ण किये जाने के आदेश पारित किये गये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.05.2016 निम्नवत् है:–

Considering the facts and circumstances that has been brought on record, we dispose of the matter directing the Disciplinary Authority to conclude the disciplinary proceedings within four months from the date of production of a certified copy of this order.

3– डा0 के0के0 जायसवाल तत्कालीन सर्जन द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 23.05.2016 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 की प्रति प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि जनपद कन्नौज में बस दुर्घटना में घायल मरीजों को सूचना न मिलने के कारण देखने नहीं पहुंचा तो दिनांक 21.05.2013 को निलम्बित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.05.2016 के क्रम में निर्णय लेते हुए बहाल किये जाने का अनुरोध किया गया।

4— डा0 क0क0 जायसवाल, तत्कालीन सर्जन के प्रत्यावेदन दिनांक 23.05.2016 एवं मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 के सम्यक् विचारोपरान्त डा0 के0के0 जायसवाल तत्कालीन सर्जन, जिला चिकित्सालय, कन्नौज को निलम्बन से इस शर्त के साथ सेवा में बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत् गतिमान रहेगी।

5— अतएव, श्रीराज्यपाल डा0 के0के0 जायसवाल तत्कालीन सर्जन, जिला चिकित्सालय, कन्नौज सम्प्रति सम्बद्ध कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए उन्हें जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस में सर्जन के पद पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है।

6— डा0 के0के0 जायसवाल के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत गतिमान रहेगी।

श्रीराज्यपाल के आदेश से,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या— 1192(1)/चि—3—16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3— अपर निदेशक, (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4— अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
5— वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज/हाथरस।
6— मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस।
7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर)।
8— चिकित्सा अनुभाग—2/8
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Nilamban se bali14